राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांकः प.10(1)प्र.सु./सम./अनु–1/2014 जयपुर, दिनांक : 28.2.14

परिपत्र

विषयः– माननीय मंत्रीगण/सांसदो/विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही करने हेतु।

माननीय संसद सदस्यों, विधायकों, जिला प्रमुख, प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की पावती एवं उन पर की गई कार्रवाई से समय–समय पर अवगत कराने के संबंध में इस विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(2)प्र.सु./सम./अनु–1/1996 दिनांक 19.07.2001, 10.06.2009, 31.08.2009 एवं 20.10.2010 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में पुनः संबंधित अधिकारीगण का ध्यान आकर्षित करते हुये निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. माननीय संसद सदस्यों/माननीय विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की पावती समुचित स्तर से तुरन्त दी जावे और यह सुनिश्चित किया जावे कि माननीय सदस्य को सूचना प्राप्ति की पुष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा कर ली गई है।
2. माननीय संसद सदस्यों/माननीय विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को विशिष्ठ प्राथमिकता प्रदान की जाए तथा प्रत्येक विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ में अलग से पत्रावली शीर्ष (हैड) निर्धारित कर, ऐसे पत्रों पर कार्रवाई की जावे। तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त कर, दायित्व सौंपा जाना चाहिए।
3. माननीय संसद सदस्यों/माननीय विधायकों एवं जन प्रतिनिधियों के पत्रों में उठाये गये प्रकरण/मुद्दों का निपटारा कर, अन्तिम जवाब पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में दे दिया जाय, अगर किसी विशेष परिस्थिति में और प्रक्रियागत कारणों से यह संभव नहीं हो तो, उनमें अन्तरिम उत्तर भेजते हुये कारणों से अवगत कराया जावे। अन्तिम रूप से उत्तर भिजवाये जाने के पश्चात् ही संबंधित पत्रावली बन्द की जावे।
4. माननीय सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर सावधानीपूर्वक विचार कर उनके द्वारा मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जावे। किसी प्रस्ताव/अनुरोध को अस्वीकार किया जाना हो तो उच्च प्राधिकारी से अनुदेश लेकर, संयत और सम्मानजनक भाषा में, ऐसा नहीं करने के कारणों से अवगत कराते हुये उत्तर देना चाहिए।
5. माननीय संसद सदस्यों/विधायकों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों के निस्तारण की मासिक सूचना निर्धारित "प्रपत्र–क" एवं "प्रपत्र–ख" जो कि पुनः संलग्न किये जा रहे हैं, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिवगण, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं निगमों/बोर्डो व स्वायत्तशासी संस्थाओं के सक्षम अधिकारीगण द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की जायेगी।

6. माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय राज्य मंत्रीगण व अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों एवं माननीय मंत्रीगण, माननीय संसद सदस्य/विधायकों के ऐसे पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय/माननीय प्रभारी मंत्रीगण को संबोधित हों, के अन्तरिम एवं अन्तिम उत्तर सामान्यतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय/माननीय संबंधित मंत्री द्वारा प्रेषित किये जाते है। पत्र में उठाये गये मुद्दों पर यदि परीक्षण की आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग द्वारा अधिकतम **15 दिवस में परीक्षण कर, संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव द्वारा पत्रावली मय प्रारूप उत्तर, माननीय मुख्यमंत्री महोदया या माननीय संबंधित मंत्री महोदय को प्रस्तुत की जावेगी।** ऐसे प्रकरणों का संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव के यहां अलग से रिकार्ड रखा जायेगा।
7. माननीय सांसद/विधानसभा की विभिन्न समितियों से प्राप्त निर्देशों का निर्धारित व निश्चित अवधि में तत्परता से पालना की कार्रवाही की जावे।

सभी विभागों/निगमों/मण्डलों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों की सभी स्तरों पर गम्भीरतापूर्वक पालना की जावे। यह ध्यान रखा जावे कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अतिक्रमण को गम्भीरतापूर्वक लिया जावेगा।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
7. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/प्रशासक, समस्त निगम/बोर्ड/मण्डल एवं स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजस्थान।
11. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 2 अतिरिक्त प्रतियों में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।

(सत्य प्रकाश बसवाली)
शासन संयुक्त सचिव 25/2

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकःएफ.16(1)(115) सामा./आईसीडीएस/13/23463–877 जयपुर,दिनांकः 11-3-14

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशालय के समस्त शाखा प्रभारी अधिकारीगण।
2. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास/बाल विकास परियोजना अधिकारी।
3. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) वास्ते विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

सांसदो/ विधायको से प्राप्त पत्रों का मासिक विवरण

प्रपत्र "ख"
(विषयवार)

विभाग/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्था का नाम– .....विभाग माह, ...

क्र.सं.	(विषय/ मामले का संक्षिप्त विवरण देवें)	माह के प्रारम्भ में शेष पत्रों की संख्या	माह में प्राप्त पत्रों की संख्या	कुल संख्या (3+4)	निस्तारित पत्रों की संख्या	माह के अंत में शेष पत्रों की संख्या (5+6)	विशेष विवरण यदि कोई प्रकरण राज्य सरकार को भेजा गया है तो उस विभाग का नाम, पत्र का कमांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**सांसद**						
	1.1						
	1.2						
	1.3						
	1.4 विविध						
	योग						
2	**विधायक**						
	2.1						
	2.2						
	2.3						
	2.4 विविध						
	योग						
	कुल योग						

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर अधिकारी

सांसदो/ विधायको से प्राप्त पत्रों का मासिक विवरण

प्रपत्र "क"
(क्षेत्रवार)

विभाग/निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्था का नाम– .....विभाग माह, ...

क्र.सं.		माह के प्रारम्भ में शेष पत्रों की संख्या	माह में प्राप्त पत्रों की संख्या	कुल संख्या (2+3)	निस्तारित पत्रों की संख्या	माह के अंत में शेष पत्रों की संख्या (4+5)	विशेष विवरण यदि कोई प्रकरण राज्य सरकार को भेजा गया है तो उस विभाग का नाम, पत्र का कमांक एवं दिनांक
1		2	3	4	5	6	7
1	सांसद						
	1.1 अपने क्षेत्र से संबंधित						
	1.2 अन्य क्षेत्र से संबंधित						
	उप योग (1)						
2	विधायक						
	1.1अपने क्षेत्र से संबंधित						
	1.2 अन्य क्षेत्र से संबंधित						
	उप योग (2)						
	योग (1+2)						